न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं. 2003/00013 (118/2003) 223 आरटीएक्ट

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

–: बनाम :–

1. हरदत पुत्र बुधराम (फौत)
   1/1 हनुमान पुत्र हरदत्त
   1/2 सावित्री पत्नी हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
   1/3 रोहताश पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
   1/4 नन्दराम पुत्र हनुमान जाति ब्राम्हण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
   1/5 बाला पुत्री हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. हरीराम पुत्र हरदत जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
   2/1 कृष्ण पत्नी हरीराम जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. राधेश्याम पुत्र हरदत जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. घनश्याम पुत्र हरदत जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5. हेतराम पुत्र हरदत जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
6. कलावती पुत्री हरदत (फौत)
   6/1 भागीरथ (फौत)
   6/2 राजेश पुत्र कलावती पुत्री हरदत जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
   6/3 वधु पुत्र कलावती पुत्री हरदत जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
7. चन्दो पुत्री हरदत (फौत)
   7/1 अजीत पुत्र चन्दो पुत्री हरदत जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
   7/2 औमप्रकाश पुत्र चन्दो पुत्री हरदत जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
8. हरदेई पुत्री हरदत जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
9. गंगाराम पुत्र छबीलादास जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
10. मोहनलाल पुत्र छबीला जाति ब्राहम्ण निवासी शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.12.2002 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा प्रकरण सं0 264/2002 बअनवानी हरदत आदि बनाम सरकार

श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1/3, 1/4, 2/1, 3

निर्णय दिनांक –22.10.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0/ वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष्ज्ञ रोही चक 12 एएमएस तहसील भादरा के मु. नं. 53 किला नं. 20 ता 23, मु. नं. 54 के किला नं. 1 ता 3 , 7 ता 14, 17 ता 24 मु. नं. 55 के किला नं. 16 व 25 की कुल 25 बीघा बारानी भूमि को सम्वत 2011 से लगातार कब्जा काश्त में होना बताकर धारा 193 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वतः ही खातेदार काश्तकार होने का कथन करते हुए राजस्व रिकार्ड में भूमि सिवाय चक की जगह स्वयं को खातेदार दर्ज करने हेतु वाद पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के द्वारा वादी/रेस्पो0 को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है। अपील दिनांक 27.09.2017 को स्वीकार की गई। दिनांक 21.11.2017 को रेस्पोडेण्ट सं0 1/3 रोहताश ने आदेश 41 नियम 20 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश करने पर न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 27.09.2017 निरस्त किया जाकर अपील पुनः नम्बर पर ली गई। रेस्पोडेण्ट के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. भिजवाये गये। रेस्पोडेण्ट संख्या 1/3, 1/4, 2/1, 3 के वकील उपस्थित आये शेष रेस्पोडेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया।
2. अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1/3, 1/4, 2/1, 3 के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलाण्ट को बिना सुने, बिना साक्ष्य का अवसर दिये पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित की है जो खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुने बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर उक्त भूमि रेस्पो0 का कब्जा मानकर धारा 193 आरटीए के तहत अधीनस्थ न्यायालय को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। डिले कन्डोन की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।
4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1/3, 1/4, 2/1, 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील मियाद बाहर है जो निरस्त की जावे। विलम्ब का कोई कारण कथित नहीं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया है। विलम्ब के जो कारण बताये हैं उन कारणों के आधार पर विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता इसलिए अपील को मियाद के बिन्दु पर निरस्त करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक मियाद बिन्दू के अतिरिक्त जो बिन्दू उठाये हैं वे निरर्थक, आधारहीन हैं रिकार्ड के विपरीत हैं समस्त रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। खातेदारी अधिकार प्रदान करने से पूर्व पूर्ण प्रक्रिया का पालन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. अपीलाण्ट की अपील का यह आधार है कि उसे साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला तथा सम्वत 2011 से लगातार कब्जा काश्त में होना बताकर झूठे तथ्य पेश कर धारा 193 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वतः ही खातेदार बताते हुए राजस्व रिकार्ड में भूमि सिवाय चक की जगह खातेदार दर्ज करने हेतु वाद पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय नें प्रश्नगत भूमि को रेस्पोडेण्ट के बाप दादाओं के समय से ही कब्जा काश्त में चली आ रही मानते हुए एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया है। रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा की गई प्रविष्टि से पूर्व वादीगण के पूर्वजों के नाम जमाबंदी सन् 1961 के प्रश्नगत भूम पूर्वजों की मारूसी खातेदारी थी एवं उसके बाद सैटलमेंट के पूर्व प्रविष्टि को ही दोहराने की अधिकारिता थी पूर्व प्रविष्टि को परिवर्तित करने की अधिकारिता नहीं थी। विचारण न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को विधि सम्मत बताया है। अधीनस्थ न्यायायल में उपलब्ध जमाबंदी खतौनी ग्राम 12एए संवत 2056 में प्रश्नगत भूमि मु. नं 53 की 20 ता 23 मु. नं. 54 की किला नं. 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 24 तथा मु. नं. 55 की किला नं. 16, 25 कुल 6.325 है. सिवाय चक काबिल काश्त भूमि दर्ज है। इससे पूर्व खसरा भू प्रबन्ध विभाग संवत 2057 में उक्त रकबा में से मु. नं. 54 की किला नं. 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 24 तथा मु. नं. 55 की किला नं. 16, 25 पर छबीलदास का नाम अंकित है, जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय के द्वारा रेस्पोडेण्ट का एडवर्स पजेशन मानते हुए खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। नियमानुसार प्रश्नगत भूमि राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें 1955 एवं राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना सरकारी भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 में वाद भूमि खातेदारी निर्धारित राशि जमा करवाने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने संबंधित नियमों में खातेदारी दिये जाने का प्रावधान है। चूंकि अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर नहीं मिला है और रेस्पोडेण्ट को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये गये है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं उपखण्ड अधिकारी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.12.2002 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्षों की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिलिंग सीमा की संपूर्ण जांच करते हुए पक्षकारान को पुनः साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं यदि पात्र पाये जाते है तो नियमानुसार प्रश्नगत भूमि राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें 1955 एवं राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना सरकारी भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 में वाद भूमि खातेदारी निर्धारित राशि जमा करवाने पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने संबंधित नियमों की व्याख्या करते हुए प्रकरण का पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.12.2002 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्षों की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उपरोक्त विवेचन अनुसार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.12.2019 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official